National Institute for The Orthopaedically Handicapped

5786. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to build one top-class National Institute for the Orthopaedically handicapped in every State;

(b) whether it is a fact that such facilities are not available in every State; and

(c) what proposals are there in the 8th Plan's concluding years to establish institutes of a similar calibre as the NIOH, Calcutta, in other parts of the country?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No Sir.

(b) So far as the facilities of fitting of aids/appliances and corrective surgery are concerned, most of the Medical Colleges, located in different States, have such facilities. It may also be mentioned that besides NIOH, the National Institute for Rehabilitation Training & Research, Cuttack and All India Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, have similar facilities. Institute for the Physically Handicapped (IPH), New Delhi, has all the facilities except the facility of corrective surgery.

(c) There is no proposal to establish National Institute in other parts of the country. However, there is a proposal to establish two regional centres of NIOH in the current financial year.

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं

5787. **श्री नरेश यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आम आदमी के लाभ के लिए कार्य करने हेतु नव गठित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है;

(ग) क्या कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक सरकारी सहायता की मांग करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी): (क) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते वे संबंधित क्षेत्र में 2 से लेकर 3 वर्षों से लगे हुए हों।

(ग) से (ङ) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की मंजूरी से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

वे कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम जिनके कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

1. **एस०सी०डी०** "अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:—

(क) विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों, होस्टलों सचल चिकित्सा औषधालयों आदि की स्थापना।

(ख) विभिन्न व्यवसायों जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टंकण और आशुलिपि, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि में स्व-रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2. **अनुसूचित जनजाति विकास**

1. गैर-आवासीय विद्यालयों का रख-रखाव।
2. होस्टलों का रख-रखाव।
3. आवासीय विद्यालयों का रख-रखाव।
4. बालवाड़ी/शिशु केन्द्रों का रख-रखाव।
5. सचल औषधालयों का रख-रखाव।
6. औषधालय/10 बिस्तरों वाले अस्पताल का रख-रखाव।
7. पुस्तकालय का रख-रखाव।
8. पुस्तकालय सहश्रव्य दृश्य एकक का रख-रखाव।